



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024. Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/37/2016/एफ.सी/202

दिनांक: 28/7/16

रनवा में,
विशेष सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय : जनपद जालौन में जालौन से ऊरई (बिलराया-पनवाड़ी राजमार्ग संख्या-21 के किमी० 352.00 से 370.45 एवं जालौन बाईपास होते हुए झांसी-भोगनीपुर-कानपुर मार्ग, एन०एच०-27 के किमी० 218.400 तक) फोर लेन के निर्माण हेतु 35.71435 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 2530 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : Online Proposal No. FP/UP/ROAD/17575/2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्तावित प्रकरण की दिनांक- 10.06.2016 का आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारापरान्त प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः केन्द्र सरकार जनपद जालौन में जालौन से ऊरई (बिलराया-पनवाड़ी राजमार्ग संख्या-21 के किमी० 352.00 से 370.45 एवं जालौन बाईपास होते हुए झांसी-भोगनीपुर-कानपुर मार्ग, एन०एच०-27 के किमी० 218.400 तक) फोर लेन के निर्माण हेतु 35.71435 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग व बाधक 2530 वृक्षों के पातन को सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर (35.71435 X 2 = 71.43 ha.) अर्थात् 71.43 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
(ख) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, में जमा की जाएगी। जिसके उपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि के ई-पोर्टल पर भुगतान की रसीद/ बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस०/एन०एफ०टी० (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

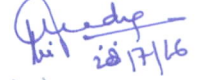
Ant-dp
28/7/16

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन. पी.वी. की दर में वृद्धोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

- विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जॉन बेंच, भापाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनान राजस्थान सरकार में दिनांक-16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-H/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक-02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होन पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

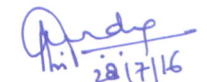
भवदीय,


28/1/16

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- अतिरिक्त वनगहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
- प्रभागीय वनाधिकारी, जालौन वन प्रभाग, ऊर्ई, उ0 प्र0।
- अधिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊर्ई, उ0 प्र0।
- श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
- आदेश पत्रावली।


28/1/16

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)